

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, लोहरदगा
पाण्डेय गणपत राय भवन, प्रथम तल्ला, समाहरणालय, लोहरदगा
दूरभाष: (06526) 222932, फ़ैक्स: 224599
ई-मेल: ssaloh@rediffmail.com

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयन हेतु पुनर्विज्ञापन की आवश्यक सूचना।

राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के निदेशानुसार लोहरदगा जिला अन्तर्गत 05 प्रखण्डों में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी के महिला अभ्यर्थियों (सभी पदों के लिए) से निम्न अंकित शर्तों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षिका के रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में Online/Offline आवेदन दिनांक 09.12.2016 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

क्र०	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति		
			अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति
01	भाषा शिक्षिका (हिन्दी एवं अंग्रेजी) (पूर्ण कालिक)	02	---	01	01
02	गणित शिक्षिका (पूर्ण कालिक)	01	---	01	---
03	विज्ञान शिक्षिका (पूर्ण कालिक)	02	---	02	---

उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, नियुक्ति की प्रक्रिया, आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया एवं आवेदन के लिए विहित प्रपत्र, तथा संविदा पर नियुक्त होनेवाले कर्मियों की सेवा शर्त इस जिले के वेबसाइट www.lohardaga.nic.in पर देखा जा सकता है।

- 30 -
जिला शिक्षा अधीक्षक -सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, लोहरदगा।

ज्ञापांक 756 /स०शि०, दिनांक . 29.11.16.

प्रतिलिपि: जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना को सभी स्थानीय दैनिक सामचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए संलग्न विज्ञापित एवं पत्र को जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी जिले के वेबसाइट www.lohardaga.nic.in पर भी प्रकाशन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि: उपायुक्त -सह- अध्यक्ष, सर्व शिक्षा अभियान, लोहरदगा की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

29/11/16
जिला शिक्षा अधीक्षक -सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, लोहरदगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयन हेतु पूर्णविज्ञापन की आवश्यक सूचना।


राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, रॉंची के निदेशानुसार लोहरदगा जिला अन्तर्गत 05 प्रखण्डों में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी के महिला अभ्यर्थियों (सभी पदों के लिए) से निम्न अंकित शर्तों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षिका के रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में Online/Offline आवेदन दिनांक 09.12.2016 के अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है।


क्र०	पद का नाम	कोटिवार पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	परिलब्धियाँ
01	भाषा शिक्षिका (हिन्दी एवं अंग्रेजी) (पूर्ण कालिक)	कुल रिक्ति-02 अ.जा.-01 अ.ज.जा.-01	1. शैक्षणिक अर्हता:-मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अर्हता, उच्चतर शैक्षणिक अर्हताधारी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, अ0जा0/अ0ज0जा0 एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।	झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निर्धारित परिलब्धि देय होगा।
02	गणित शिक्षिका (पूर्ण कालिक)	कुल रिक्ति-01 अ.ज.जा.-01	2. प्रशैक्षणिक अर्हता:-मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा।	
03	विज्ञान शिक्षिका (पूर्ण कालिक)	कुल रिक्ति-02 अ.ज.जा.-02	3. शिक्षक पात्रता परीक्षा:-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।	

- सभी पदों हेतु आवेदन कार्यालय के अधिकारिक वेबसाईट www.lohardaga.nic.in पर Online/Offline विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे एवं उसकी मूल प्रति डाउनलोड कर सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ निर्धारित तिथि तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पाण्डेय गणपत राय भवन, प्रथम तल, कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, लोहरदगा-835302 के नाम से स्वीकार किये जायेंगे। लिफाफे पर निश्चित रूप से आवेदित पद का नाम एवं ज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में लिखना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.12.2016 के अपराह्न 05:00 बजे तक है। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ एक स्वपता (पत्राचार पता) लिखा लिफाफ निबंधित डाक हेतु निर्धारित टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पर समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र कडिका-1 के अनुरूप अलग-अलग लिफाफा में निबंधित डाक से समर्पित करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नक 1. 23X10 सेमी स्व पता लिखा हुआ एक लिफाफा जिसमें 40.00 रुपये का पोस्टल डाक टिकट चस्पा किया हुआ हो। 2. मैट्रिक का प्रवेश पत्र, 3. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का स्वअभिप्रमाणित प्रति, 4. जाति प्रमाण पत्र (अनुमण्डल/उपायुक्त द्वारा निर्गत), 5. झारखण्ड राज्य से सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- सभी पदों के लिए दक्षता परीक्षा ली जायेगी जो अर्हक (Qualifying) प्रवृत्ति की होगी, जिसका अंक कुल अंकों में नहीं जोड़ा जायेगा। शिक्षिकाओं के लिए दक्षता परीक्षा दिनांक 12.12.2016 को कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय, लोहरदगा में 11:00 बजे पूर्वाह्न से आयोजित होगी।

आवश्यक नियम एवं शर्तें:-


1. यह चयन प्रथमतया अल्पकालीन संविदा के आधार पर पूर्णतया अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए किया जायेगा तथा कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर संविदा का विस्तार करने पर विचार किया जाएगा।
2. राज्य, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा सेवकों की नियुक्ति हेतु कोटिवार उम्र सीमा इन पदों पर चयन हेतु लागू होगी अधिकतम उम्र सीमा इस प्रकार रहेगी - 1. सामान्य वर्ग- 35 वर्ष, 2. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग-37 वर्ष 3. अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग- 40 वर्ष तथा उम्र की गणना 01.05.2016 के आधार पर होगी।
3. राज्य, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 के आलोक में "झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान तथा राज्य, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 17.07.2016 के आलोक में लोहरदगा जिले के स्थानीय निवासियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
4. मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रांची, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या 1632 दिनांक 05.09.2012 के क्रमांक 21 (ख) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु मेधा सूची का निर्माण संबंधी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राप्तिक के आधार पर अभ्यर्थी के मेधा अंक निर्धारण निम्न रूपेण किया जायेगा। क. 90 % एवं इससे उपर- 10 अंक, ख. 80 % एवं इससे उपर किन्तु 90% से कम- 06 अंक, ग. 70 % एवं इससे उपर किन्तु 80% से कम- 04 अंक, घ. 52 % एवं इससे उपर किन्तु 70% से कम- 02 अंक
5. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
6. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है। अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। साथ ही विद्यालय के लिए निर्धारित नियमों को मानने की बाध्यता होगी।
7. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को किसी अन्य स्थान/संस्थान में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. अभ्यर्थियों के चयन में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
9. नियुक्ति में जो सूची-निर्मित होगी उसमें मेधा क्रम के अनुसार रोस्टर पैनल का निर्माण किया जायेगा, जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
10. अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन/नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधन/रद्द करने का अधिकार जिला चयन समिति को होगा।



जिला शिक्षा अधीक्षक -सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, लोहरदगा।


उपायुक्त -सह- अध्यक्ष,
सर्व शिक्षा अभियान, लोहरदगा।

ज्ञापांक 155 /स0शि0, दिनांक 29/11/16...

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
निदेश दिया जाता है कि चार दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।


जिला शिक्षा अधीक्षक -सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, लोहरदगा।


उपायुक्त -सह- अध्यक्ष,
सर्व शिक्षा अभियान, लोहरदगा।

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र- पूर्ण कालिक शिक्षिका

01. आवेदित पद का नाम :
02. आवेदिका का नाम (देवनागरी लिपि में) :
(अंग्रेजी में In Block Letter) :
03. पिता/पति का नाम :
04. जन्म तिथि :
05. स्थायी पता :
06. पत्राचार का पता :
07. लिंग :
08. आरक्षण कोटि (✓ लगाये) : अनु0 जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग /सामान्य
09. जाति :
10. यदि अभ्यर्था विकलांग है, तो : विकलांगता का प्रकार. प्रतिशत
11. मोबाईल संख्या :
12. शैक्षणिक योग्यता एवं मेधा सूची बनाने का अर्हता-

स्व-अभिप्रमाणित
अद्यतन रंगीन
फोटो

(मानव संसाधन विकास विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या 1632 दिनांक 05.09.2012)

क्र. सं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	मैट्रिक					
2	इंटरमीडिएट (कला/विज्ञान/वाणिज्य)					
3	स्नातक (प्रतिष्ठा/सामान्य)					
4	बी.एड. प्रशिक्षण/प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष					
5	कुल शैक्षणिक अंक (मैट्रिक प्रतिशत+ इंटरमीडिएट प्रतिशत+स्नातक प्रतिशत+बी.एड प्रशिक्षण प्रतिशत / 4					
6	कक्षा 6-8 के लिए आयोजित झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा					
7	झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का मेधा अंक (क. 90 % एवं इससे उपर- 10 अंक, ख. 80 % एवं इससे उपर किन्तु 90% से कम- 06 अंक, ग. 70 % एवं इससे उपर किन्तु 80% से कम- 04 अंक, घ. 52 % एवं इससे उपर किन्तु 70% से कम- 02 अंक)					
8	कुल प्राप्त मेधा अंक (कुल शैक्षणिक अंक+ झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का मेधा अंक)					
9	स्नातकोत्तर					
10	पी.एच.डी.					
11						

13. अन्य योग्यता

क्र.स.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1						
2						
3						

14. कार्यानुभव--

क्र.स.	संस्था का नाम	पदनाम	कार्यस्त (कब से कब तक)

नोट- उपरोक्त सभी दस्तावेजो यथा- आयु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणीति छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गये सभी तथ्य/सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है। यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो मेरी नियुक्ति रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक/वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :

तिथि :

आवेदक का हस्ताक्षर